भा. कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR-Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली-मारवाड़ 306401 (राजस्थान)
Regional Research Station, Pali-Marwar 306401 (Rajasthan)
Website: www.cazri.res.in, Email: director@cazri.res.in, Phone No. 02932–256098/258578, FAX: 02932-256098

F. No. RRSP/Share-Contract/2017-18 Date: 19.08.2017

To,

The Editors,
Rajasthan Patrika, Pali

Sub: - Advertisement of Tender Notice for Share Contract for crop production at CAZRI's, RRS, Pali

Sir,

I am to send herewith an advertisement of Tender Notice for above work contract of the station which may kindly be advertised in Pali edition of your **Newspaper in minimum to minimum possible space in single insertion only latest by 20.08.2017**.

Bill may please be sent in triplicate duly pre-receipted in the name of the Director, CAZRI, Jodhpur for payment/verification alongwith press cutting of the advertisement at the rates approved by the DAVP, New Delhi.

Yours faithfully,

Encl.:- As above.

ASSISTANT ADIMINISTRATIVE OFFICER

Copy to:

1. The Publishing Officer (Sh. R.C. Joshi), through I/c AKMU along with tender document for uploading the Tender Notice along with document on the CAZRI's website.
2. The OIC & FS, Farm Section, CAZRI, RRS, Pali for information.
3. PS to Director, CAZRI, Jodhpur for kind information of the Director.

ASSISTANT ADIMINISTRATIVE OFFICER

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

भा. कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR-Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली-मारवाड़ 306401 (राजस्थान)
Regional Research Station, Pali-Marwar 306401 (Rajasthan)
Website: www.cazri.res.in, Email: director@cazri.res.in, Phone No. 02932–256098/258578, FAX: 02932-256098

F. No. RRSP/Share-Contract/2017-18 Date: 19.08.2017

हिस्सा खेती हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के मुख्य प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों पर हिस्सा पद्धति के आधार पर खरीफ 2017 के दौरान फसलों का उत्पादन करने के अनुबन्ध हेतु दिनांक 30.08.2017 पुर्वान्ह 12.00 बजे तक अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन मध्याह्न पश्चात् 12.30 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र विस्तृत विवरण सहित तथा नियम व शर्तें इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर भी उपलब्ध है। यदि चाहें तो जानकारी/प्रपत्र इत्यादि कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत उपस्थित होकर कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी

वास्ते निदेशक

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
ICAR-Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली–मारवाड 306 401 (राजस्थान)
Regional Research Station, Pali-Marwar 306401 (Rajasthan)
Website: www.cazri.res.in, Email: director@cazri.res.in, Phone No. 02932–256098/258578, FAX: 02932-256098

F. No. RRSP/Share-Contract/2017-18 **Date: 20.08.2017**

संस्थान के पाली केन्द्र पर 'अनुसंधान प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों पर हिस्सा आधारित खरीफ फसल उत्पादन हेतु' अल्पकालीन निविदा

Short Term Tender Invitation for 'Share based *Kharif* crop production on various block of research Farm' at CAZRI's, RRS, Pali

1. निविदा प्रपत्र उपलब्धता शुरू होने की दिनांक	:	20.08.2017
2. निविदा प्रपत्र उपलब्धता की अंतिम दिनांक एवं समय	:	30.08.2017 प्रातः 11.00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय	:	30.08.2017 मध्याह्न 12.00 बजे तक
4. निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	:	30.08.2017 मध्याह्न 12.30 बजे

नोटः निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी काजरी की वैबसाइट www.cazri.res.in पर भी उपलब्ध है, इच्छुक व्यक्ति/पार्टियां/ठेकेदार/फर्म इसे डाउनलोड कर सकते है अथवा निविदा प्रपत्र पाली केन्द्र के 'सहायक प्रशासकीय अधिकारी' के कार्यालय से व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है और निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय से पहले या तक जमा करा सकते है।

प्रेषक–

सहायक प्रशासकीय अधिकारी,
भा. कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली–मारवाड़ 306 401 (राजस्थान)

प्रेषित–

मैंसर्स/श्री ....
....

विषयः– संस्थान के पाली केन्द्र पर **'अनुसंधान प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों पर हिस्सा आधारित खरीफ फसल उत्पादन हेतु'** अल्पकालीन निविदा ।

महोदय,

निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर की और से इच्छुक व्यक्ति/पार्टियों/ठेकेदारों/फर्मों से संस्थान के पाली केन्द्र पर ''अनुसंधान प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों पर हिस्सा आधारित खरीफ फसल उत्पादन हेतु' ' मोहरबन्द अल्पकालीन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। अन्य जानकारी और नियम व शर्तें परिशिष्ठ–1 में संलग्न है।

निविदा इस कार्यालय में नियत तिथि दिनाँक 30.08.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे तक कूरियर/पंजीकृत /त्वरित डाक से पहुँच जानी चाहिए। नियत दिनाँक एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार में नहीं किया जाएगा।

निविदा नियत दिनाँक व समय 20/08/2017 को मध्याह्न 12.30 बजे पाली केन्द्र पर कमेटी द्वारा निविदा जमा करने वाले लोगों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

भवदीय

सहायक प्रशासकीय अधिकारी
वास्ते निदेशक

संलग्नः उपरोक्तनुसार [Annexure-I (अ से य तक) व Annexure-II]

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

Annexure-I

तकनिकी बिड

(प्रपत्र– अ)

व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार का विवरण

1. निविदादाता व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : ....

2. निविदादाता व्यक्ति/ठेकदेार/फर्म/एजेन्स का नाम व पता :

   मैसर्स ....

   ....

   ....

3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः .... निवासः .... माबेाइल नं. .... (ब) ई–मेल पता : ....

4. व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण : ....
   (साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो)

5. नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र/फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रतिः ....

   ....

   ....

6. व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार के बैंक का नाम व पता : ....
   बैंक का आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड नम्बर :.. बैंक खाता नम्बर : ....
   (सही सूचना के लिए चैक की छाया प्रति संलग्न करें)

7. धरोहर राशि (Bid security)–रू. 1,000/– ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur के पक्ष में देय हो। डी.डी. /बैंकर चैक नं. .... दिनांक ....बैंक का नाम .... प्रस्तुत करें ।

8. निविदा प्रपत्र को बिना कॉट–छॉट के साफ–सुथरा भर कर मोहर (यदि फर्म हो) सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 30–08–2017 को मध्यान्ह 12.00 बजे से पूर्व **<u>अध्यक्ष, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली के</u>** नाम टेण्डर बॉक्स में डलवायें। लिफाफे पर 'हिस्सा खेती के लिए अल्पकालीन निविदा' लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. विस्तृत जानकारी हेतु देंखें काजरी वबेसाइटः www.cazri.res.in

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

<u>तकनीकी बिड</u>

(प्रपत्र–ब)

<u>काजरी आर आर एस, पाली के प्रक्षेत्र अनुभाग में विभिन्न खण्डों पर हिस्से के आधार पर फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध की नियम व शर्तें</u>

1. **निविदा प्रस्तुति** : निविदादाता को निविदा वांछित दस्तावजों तथा बिड प्रपत्रों को भर कर व प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर मूल प्रति सहित डालकर उसे बन्द करना होगा। फिर लिफाफे को निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि को निर्धारित समय तक या उससे पहले **काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली** के टेण्डर बॉक्स में स्वयं उपस्थित होकर सहायक प्रशासकीय अधिकारी की जानकारी में लाकर डालने होंगे या डाक द्वारा **'सहायक प्रशासकीय अधिकारी, काजरी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, पाली'**, को प्रेषित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष लिफाफा खोला जायेगा।
2. निविदा की बिड के साथ उल्लेखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि/स्वयं उपस्थित होकर संबंधित प्रक्षेत्र खण्ड एवं फसल का जायजा कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं।
4. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अंकित किये जाने वाले नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदा भरते समय व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर (यदि हो तो) अवश्य लिखें।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. काजरी, आर.आर एस, पाली प्रक्षेत्र अनुभाग के विभिन्न खण्डों पर हिस्से पद्धति के आधार पर फसलों के उत्पादन हेतु अनुबन्ध के लिये फसलों एवं खण्डों का विवरण (खरीफ 2017)

क्र.सं.	**फसल**	**किस्म**	**अनुमानित क्षेत्रफल (है.)**	**ब्लाक/ खण्ड**	**विषेष विवरण**
1.	तिल	आर टी 351	2.5	बकरी बाड़ा	सभी फसलों के दाने/बीज में संस्थान का न्युनतम 70 प्रतिशत हिस्सा और अनुबन्धकर्ता का अधिकतम 30 प्रतिशत होगा। सभी फसलों की बुवाई एवं एक बार अर्न्तसस्य क्रिया की जा चूकी है। इसके बाद की सभी कृषि क्रियाऐं यथा– निराई–गुड़ाई, दवाई का छिड़काव (यदि आवश्यक हो तो), रखवाली, कटाई, मड़ाई एवं उत्पाद बोरों में भरना आदि अनुबन्धकर्ता द्वारा की जायेगी। फसलों की मड़ाई (थ्रेसिंग) के लिये थ्रेसर एवं ट्रेक्टर संस्थान का होगा।
2.	तिल	आर टी 351	2.5	नाडी के नीचे	
3.	तिल	गुजरात तिल –2	1.5	मस्जिद कोना	
4.	मूंग	जी एम–4	1.0	बेर, खिरनी एवं जामुन अंतरसस्य	
5.	मूंग	जी एम–4	1.5	केवीके के पास अगेती	
6.	मूंग	जी एम–4	1.5	केवीके के पास पछेती	
7.	मूंग	जी एम–4	2.5	मस्जिद कोना	
8.	मूंग	एस.एम.एल–668	1.0	3 नं कुंआ	
9.	चंवला	आर सी 101	0.75	हौदा	
10.	बाजरा	एम.पी.एम.एच–17	0.5	हौदा	
		योग	**15.25**		

<u>**नोट**</u>: अनुबंधकार्य अलग–अलग फसलों में, संस्थान को बीज /दाने में अधिकतम हिस्सा देने वाले अनुबंधकर्त्ता को दिया जावेगा।

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

8. अनुबन्ध की अवधि खरीफ फसल 2017 तक रहेगी। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निष्चित समय अवधि से पूर्व जमानत राषि (Performance Security) जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
9. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्षाया गया है)। निविदा संस्थान के निदेषक महोदय के नाम सहायक प्रषासकीय अधिकारी कार्यालय में दिनांक 30.8.2017 तक समय 12.00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करनी है। सषर्त, ई–मेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं कि जावेगी। अनुबंधकर्त्ता के पास पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइवर लाइसेन्स/अन्य सरकारी पहचान पत्र की फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा को स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद 12.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएगें।
10. निविदादाता को रु. 1000.00 (एक हजार मात्र) रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR Unit, CAZRI, Jodhpur के नाम से देय हो अथवा कार्यालय में नकद जमा करवाकर उसकी रसीद अमानत राषि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राषि के निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता को कार्य आदेष से पूर्व नियमानुसार जमानत राषि (Performance Security) जमा करानी होगी, जिसका निर्धारण फसल, फसल क्षेत्रफल एवं अनुमानित उत्पादन में हिस्से के आधार पर केन्द्र अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, उसके उपरान्त ही कार्यादेष जारी किया जावेगा।
11. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व अधिकतम मात्रा/हिस्सा ही स्वीकार किया जायेगा यदि आवष्यक हुआ तो हिस्से के बारे में आपसी–बातचीत भी की जा सकती है।
12. उपरोक्त फसलों की बुवाई, ट्रेक्टर द्वारा या मानव श्रम द्वारा वर्तमान समय तक एक बार अर्न्तसस्य क्रिया की जा चूकी है, अब बचे समय में आवश्यक अर्न्तसस्य क्रिया, देख–भाल, दवाई छिड़काव (यदि आवष्यक हो तो), रखवाली, कटाई (harvesting), मड़ाई (Threshing) और बोरों में भरने हेतु लगने वाली मजदूरी अनुबंधकर्ता को वहन करनी होगी। कटी फसल की ढुलाई (यदि आवश्यक हो तो) हेतु ट्रेक्टर, मड़ाई के लिये थ्रेसर एवं ट्रेक्टर एवं दाने/बीज की ढुलाई हेतु ट्रेक्टर संस्थान का होगा।
13. दाना/बीज उपज का बंटवारा सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। संस्थान के हिस्से में आने वाले दाने को प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर डालना होगा।
14. किसी भी फसल के भूसे/चारे का बंटवारा नहीं किया जायेगा, जिस फसल का जो भी भूसा/चारा होगा वह संस्थान का ही रहेगा व भूसा उठाने के लिए वाहन संस्थान का होगा व श्रमिक की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी होगी ताकी भूसा/चारा केन्द्र के इच्छित स्थान पर परिवहन किया जा सके।
15. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा। श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार रखना होगा जिसे सम्बन्धित प्रभारी से प्रत्येक माह प्रमाणित करवाना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगी जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
16. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी प्रक्षेत्र/फार्म अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करना प्रमाणित किया जायेगा, उसके बाद ही हिस्से का बंटवारा किया जायेगा। यदि कार्य दिये गये मापदण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार हिस्से का बंटवारा किया जावेगा।

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

17. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा कराई गई जमानत राषि (Performance Security) को जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविष्य में संस्थान में किसी भी प्रकार के अनुबन्धों से बाहर कर दिया जाएगा ।
18. फसल की वर्तमान स्थिति से कटाई/बंटवारे तक सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
19. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राषि नही दी जावेगी।
20. अनुबंध के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान की भरपाई के लिये 100/– रुपये प्रतिदिन या परिस्थिति अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
21. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की षिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा संस्थान की संम्पति कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी पूर्ति स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राषि (Performance Security) जब्त कर ली जावेगी।
22. मानसून एवं विविध कारणों से फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदरी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
23. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
24. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
25. अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राषि (Performance Security) अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राषि को जब्त कर लिया जावेगा।
26. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
27. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, (राजस्थान) को होगा, जो अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
28. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (हिस्सा पद्धति के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का हिस्सा पद्धति कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
29. सफल अनुबन्धकर्ता को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
30. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
31. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।

Signature with seal of the firm/representative of the firm

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–स)

निविदादाता ठेकादार / फर्म / एजेन्सी / कम्पनी द्वारा घोषणा

1. I,____son/ daughter/ wife of Shri ____ Proprietor/ Director/ authorized signatory of the Company/Firm mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them.
3. The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Signature & Name of the authorized

Signatory with Seal of the Firm

Place:

Date:

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–द)

FOR THE USE BY TENDER OPENING COMMITTEE ONLY

Name of the Firm: ____

1. Earnest money deposited/not deposited/is/not in acceptable form.
2. There are no changes, corrections, additions and overwriting etc. in the General Terms and Conditions put to tender.
3. There are ____________________________ corrections and overwriting in the rates which have been quoted in figure/words numbered from________________________ to _____________________ figure/words.
4. The tender is conditional/unconditional. Please refer covering letter/notes on page ______ there are ______ conditions.
5. The rates have not been quoted against item No. ________________.
6. There is ambiguity in the rates quoted in figure and words against item No. ___________.
7. Rates have been quoted in figures/words only.

(Tender Opening Committee)

Signature with seal of the firm/representative of the firm

<u>तकनीकी बिड</u>

(प्रपत्र–य)

<u>CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH TENDER DOCUMENT FAILING WHICH THE BID WILL BE LIABLE TO BE REJECTED:</u>

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page No.	Remarks
1.	Details of EMD deposited Rs. 1,000/-			
2.	Copy of PAN/Aadhar Card/Voter ID/any other authentic ID			
3.	Proof of experience (if any)			

Authorized Signatory

Full Name of Bidder with Address & Date

Signature with seal of the firm/representative of the firm

ANNEXURE-II

वित्तीय निविदा
(Financial Bid)

सेवा में,
निदेशक, काजरी, जोधपुर।

महोदय,

संस्थान के पाली केन्द्र पर 'अनुसंधान प्रक्षेत्र के विभिन्न खण्डों पर हिस्सा आधारित खरीफ 2017 के दौरान फसल उत्पादन हेतु के लिए निविदा आंमंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न फसलों एवं खण्डों हेतु हमारे द्वारा अग्रांकित हिस्से प्रस्तुत किये जाते हैं:

क्र. सं.	फसल	किस्म	अनुमानित क्षेत्रफल (है.)	ब्लाक / खण्ड	अनुबन्धकर्ता का बीज / दाने में हिस्सा प्रतिषत	संस्थान का बीज / दाने में हिस्सा प्रतिषत	विशेष विवरण
1.	तिल	आर टी 351	2.5	बकरी बाड़ा		70+	सभी फसलों के दाने / बीज में संस्थान का न्युनतम 70 प्रतिशत हिस्सा और अनुबन्धकर्ता का अधिकतम 30 प्रतिशत होगा। सभी फसलों की बुवाई एवं एक बार अर्न्तसस्य क्रिया की जा चूकी है। इसके बाद की सभी कृषि क्रियाऐं यथा– निराई–गुड़ाई, दवाई का छिड़काव (यदि आवश्यक हो तो), रखवाली, कटाई, मड़ाई एवं उत्पाद बोरों में भरना आदि अनुबन्धकर्ता द्वारा की जायेगी। फसलों की मड़ाई (थ्रेसिंग) के लिये थ्रेसर एवं ट्रेक्टर संस्थान का होगा
2.	तिल	आर टी 351	2.5	नाडी के नीचे		70+	
3.	तिल	गुजरात तिल –2	1.5	मस्जिद कोना		70+	
4.	मूंग	जी एम–4	1.0	बेर, खिरनी एवं जामुन अंतरसस्य		70+	
5.	मूंग	जी एम–4	1.5	केवीके के पास अगेती		70+	
6.	मूंग	जी एम–4	1.5	केवीके के पास पछेती		70+	
7.	मूंग	जी एम–4	2.5	मस्जिद कोना		70+	
8.	मूंग	एस.एम. एल–668	1.0	3 नं कुंआ		70+	
9.	चंवला	आर सी 101	0.75	हौदा		70+	
10.	बाजरा	एम.पी.एम. एच–17	0.5	हौदा		70+	
		योग	**15.25**				

नोट: अनुबंधकार्य अलग–अलग फसलों में, संस्थान को बीज /दाने में अधिकतम हिस्सा देने वाले अनुबंधकर्त्ता को दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

मैसर्स ....

....

दिनांक: ....स्थान : ....

 Signature with seal of the firm/representative of the firm